संख्या के-14011/15/2007-केन्द्र शासित प्रदेश

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

(यूटी डेस्क)

निर्माण भवन, नई दिल्ली,

दिनांक 5 मार्च, 2007

# आदेश

**विषयः एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए)- कार्यबल स्थापित करना- के संबंध में।**

---

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006 में शहरी परिवहन के कार्यक्रमों व परियोजनाओं के नियोजन एवं कार्यान्वयन के समन्वय और शहरी परियोजना व्यवस्थाओं के एकीकृत प्रबंधन को आसान बनाने के लिए एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

2. यातायात और परिवहन के नीति निर्माण, नियोजन, समन्वय, विनियमन, कार्यान्वयन आदि संबंधी मुद्दों के निपटान के लिए एक कार्यबल स्थापित किया गया है जिसमें निम्नलिखित होंगेः-

| | | |
|---|---|---|
| (i) | सचिव, शहरी विकास मंत्रालय | - अध्यक्ष |
| (ii) | गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि | - सदस्य |
| (iii) | रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि | - सदस्य |
| (iv) | सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के प्रतिनिधि | - सदस्य |
| (v) | योजना आयोग के प्रतिनिधि | - सदस्य |
| (vi) | वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि | - सदस्य |
| (vii) | मुख्य सचिव, जीएनसीटीडी या उनके प्रतिनिधि | - सदस्य |
| (viii) | मुख्य सचिव या उनके प्रतिनिधि, आंध्र प्रदेश सरकार | - सदस्य |
| (ix) | मुख्य सचिव या उनके प्रतिनिधि, गुजरात सरकार | - सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| (x) | मुख्य सचिव या उनके प्रतिनिधि,<br>कर्नाटक सरकार | - सदस्य |
| (xi) | मुख्य सचिव या उनके प्रतिनिधि,<br>महाराष्ट्र सरकार | - सदस्य |
| (xii) | मुख्य सचिव या उनके प्रतिनिधि,<br>मध्य प्रदेश सरकार | - सदस्य |
| (xiii) | मुख्य सचिव या उनके प्रतिनिधि,<br>राजस्थान सरकार | - सदस्य |
| (xiv) | मुख्य सचिव या उनके प्रतिनिधि,<br>तमिलनाडु सरकार | - सदस्य |
| (xv) | मुख्य सचिव या उनके प्रतिनिधि,<br>पश्चिम बंगाल सरकार | - सदस्य |
| (xvi) | प्रबंध निदेशक,<br>दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड | - सदस्य |
| (xvii) | श्री दिनेश मोहन, प्रोफेसर, आईआईटी, दिल्ली | - सदस्य |
| (xviii) | प्रो. शिवानंद स्वामी, सीईपीटी, अहमदाबाद | - सदस्य |
| (xix) | शहरी परिवहन संस्थान के प्रतिनिधि | - सदस्य |
| (xx) | निदेशक (यूटी) | - सदस्य सचिव |

3. कार्यबल के विचाराधीन विषय निम्नलिखित होंगे:-

i) एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में शहरी परिवहन कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के नीति निर्माण, नियोजन, समन्वय, विनियमन, कार्यान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए संस्थागत तंत्र जैसे एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए), स्वतंत्र नियामक, यातायात प्रबंधन संगठन आदि का सुझाव देना।

ii) इन संस्थागत संगठनों की शक्तियों को परिभाषित करना;

iii) इन संगठनों की स्थापना के लिए उपयुक्त विधायी ढांचे का सुझाव देना;

iv) उपयुक्त विधान/आदेश का प्रारूप बनाना;

v) अंतरिम अवधि में तत्काल उपाय,यदि कोई हो, का सुझाव देना; और

vi) किसी अन्य उपाय का सुझाव देना, जिसका इस विषय से सरोकार हो;

4. कार्य बल का अध्यक्ष अतिरिक्त सदस्य अधिकारी (अधिकारियों) अथवा गैर सरकारी अधिकारी, जैसा आवश्यक हो, का सहयोगित कर सकता है।

5. कार्यबल की बैठकों के संबंध में सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते का व्यय संबंधित सरकारी विभाग/संस्था द्वारा वहन किया जाएगा जिससे वह संबंध रखता/रखती है। गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते/ महंगाई भत्ते सरकारी नियमावली के तहत यथा स्वीकार्य शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वहन किए जाएंगे।

6. कार्यबल अपनी रिपोर्ट छह माह के भीतर अपनी सिफारिशें/रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

सेवा में,

अध्यक्ष और टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को।

**(एस. के. लोहिया)**
**निदेशक (यूटी)**
**दूरभाषः 23061114**

प्रतिलिपिः-

1. निजी सचिव, शहरी विकास मंत्री
2. निजी सचिव, शहरी विकास राज्य मंत्री
3. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, सचिव (शहरी विकास)
4. निदेशक (प्रशासन)
5. बजट / आंतरिक वित्त प्रभाग

**(एस. के. लोहिया)**
**निदेशक (यूटी)**

प्रतिलिपिः- एनआईसी को मंत्रालय की वेबसाइट पर इसे अपलोड करने के लिए।

**हस्ताक्षर**
**(यूटी) विभाग**
**21.03.07**